कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

पत्रांक 6439 /पटना, दिनांक 23.07.2025

04/नि० (योजना) जन औषधि/पेट्रॉल/डीजल/एल०पी०जी०–03/2023 (भाग–1)

प्रेषक,

विकास कुमार बरियार,
अपर निबंधक (न्यायिक)
सहयोग समितियाँ, पटना, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी।

विषय :– **प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों की स्थापना में धीमी प्रगति के संबंध में।**

प्रसंगः– **विभागीय पत्र संख्या–4996 दिनांक 09.06.2025 तथा पत्र संख्या–5994 दिनांक 11.07.2025**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय पत्रों की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना है कि राज्य के PACS के माध्यम से जन औषधि केन्द्र स्थापित करने हेतु निर्धारित तथा संसूचित लक्ष्य के विरूद्ध अबतक की प्रगति असंतोषजनक पायी गई है।

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्रासंगिक पत्रों के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके है, जिसमें राज्य के कम से कम 25 प्रतिशत पैक्सों में जन औषधि केन्द्र की स्थापना की जानी है, परन्तु वर्त्तमान में 25 प्रतिशत लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 16.57 प्रतिशत ही उपलब्धि हासिल की जा सकी है और जन औषधि केन्द्र की संचालन तो मात्र अभी तक 15 पैक्स में ही संभव हो सकी है।

ऐसा प्रतीत होता है कि कई पैक्स तथा इससे संबंधित सहायतार्थ संलग्न कर्मियों को आवेदन की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता मानदण्ड आदि की समुचित जानकारी नहीं है, जिसके कारण अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। अतः इस संदर्भ में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवश्यक कागजात तथा प्रक्रिया का एक सरल दिशा–निर्देश तैयार कर संलग्न किया जा रहा है।

उपर्युक्त के आलोक में निम्नांकित दिशा–निर्देश दिये जाते है :–

- संबंधित सभी पैक्स तथा इससे संबंधित संलग्न सभी कर्मियों को संलग्न दिशा–निर्देश व आवेदन करने की चरणवार प्रक्रिया की प्रति उपलब्ध करवाई जाय।
- बिहार राज्य में निबंधित बी० फॉर्मा/डी० फॉर्मा करने वाले फॉर्मास्टिों की सूची व उनके E-mail id एव अन्य जानकारी के साथ www.janaushdhi.gov.in के होम पेज पर जिलावार उपलब्ध है। इसकी जानकारी भी पैक्स तथा इस कार्य में संलग्न कर्मियों को उपलब्ध करवाये।
- सभी पैक्स को सक्रिय कराकर लक्ष्य अनुरूप आवेदन करवाना सुनिश्चित करें।
- सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी सप्ताहिक समीक्षा करके प्रगति प्रतिवेदन से मुख्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

अतः अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई अविलम्ब करना सुनिश्चित किया जाए।

अनुलग्नक :– 1. पत्रांक 5994 दिनांक 11.07.2025 के जिलावार लक्ष्य व प्राप्ति की छायाप्रति।
2. आवेदन करने की आवश्यक दस्तावेज व चरणवार प्रक्रिया की छायाप्रति।

विश्वासभाजन
ह०
(विकास कुमार बरियार)
अपर निबंधक (न्यायिक)
सहयोग समितियाँ, पटना, बिहार।

ज्ञापांक 6439 /पटना, दिनांक 23.07.2025

प्रतिलिपि :– सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

ह० 23.07.25
अपर निबंधक (न्यायिक)
सहयोग समितियाँ, पटना, बिहार।

प्रधानमंत्री भारतीय जन–औषधि केन्द्र के रूप मे पैक्स से संबंधित जिलावार प्रतिवेदन

क्र० सं०	जिला का नाम	जिलान्तर्गत कुल पैक्सों की संख्या	लक्ष्य @ 25 %	जिलान्तर्गत अब तक किये गये आवेदन की संख्या	25 % लक्ष्य के विरूद्ध प्रतिशत उपलब्धि	जन–औषधी केन्द्र संचालित पैक्सों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	Arwal	68	17	6	35.3	
2	Araria	218	55	11	20	PMBJK 15553 Bhargama PACS
3	Aurangabad	203	51	11	21.6	PMBJK 13577 Khiriyan PACS, PMBJK 12369 Bedhna PACS
4	Banka	185	46	24	52.2	
5	Begusarai	257	64	8	12.5	PMBJK 13065 Mohanpur Pacs
6	Bhagalpur	242	60	11	18.3	
7	Bhojpur	228	57	12	21.1	
8	Buxar	142	36	4	11.1	PMBJK 13323 Churamanpur Pacs
9	Darbhanga	330	82	6	7.3	
10	East Champaran (Motihari)	409	102	8	7.8	PMBJK 15827 Saphi Pacs
11	Gopalganj	234	58	5	8.6	
12	Jamui	153	38	3	7.9	
13	Jehanabad	93	23	6	26.1	
14	Kaimur (Bhabua)	151	38	15	39.5	
15	Katihar	238	59	11	18.64	
16	Gaya	332	83	9	10.8	PMBJK 14554 Rasalpur Pacs
17	Khagaria	129	32	6	18.8	
18	Kishanganj	126	32	8	25.0	
19	Lakhisarai	80	20	6	30.0	
20	Madhepura	170	42	10	23.8	PMBJK 11471 Giddha Pacs
21	Madhubani	399	99	5	5.1	
22	Muzaffarpur	387	96	8	8.3	
23	Munger	101	25	4	16	
24	Nalanda	249	62	7	11.3	PMBJK 13322 Nagmausa Pacs
25	Nawada	187	46	20	43.5	
26	Patna	331	82	9	11.0	
27	Purnia	251	62	8	12.9	

क्र० सं०	जिला का नाम	जिलान्तर्गत कुल पैक्सों की संख्या	लक्ष्य @ 25 %	जिलान्तर्गत अब तक किये गये आवेदन की संख्या	25 % लक्ष्य के विरूद्ध प्रतिशत उपलब्धि	जन–औषधी संचालित पैक्सों संख्या
1	2	3	4	5	6	7
28	Rohtas	247	61	7	11.5	
29	Saharsa	153	38	12	31.6	
30	Samastipur	381	95	5	5.3	
31	Saran	330	82	9	11.0	
32	Sheohar	54	13	7	53.8	
33	Sheikhpura	53	13	12	92.3	
34	Sitamarhi	273	68	9	13.2	
35	Supaul	181	45	11	24.4	PMBJK 13325 Hardi west Pacs PMBJK 14730 Sukhasan Pacs
36	Siwan	293	73	12	16.4	
37	Vaishali	290	72	10	13.9	PMBJK 13773 Sehan Pacs, PMBJK 14552 Sahdullahpur Pacs
38	West Champaran	315	78	14	17.9	PMBJK 12388 Miyanpur Pacs PMBJK 12476 Malahi Baluwa Pacs
	Total	**8463**	**2105**	**349**	**16.57**	

(204)

(102)

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र के आवेदन हेतु आधारभूत कागजात व चरणवार प्रक्रिया :–

(A) प्रथम चरण :– आवेदन करने के लिए प्रथम चरण अंतर्गत 4 भाग यथा प्राथमिक प्रक्रिया, डैश बोर्ड भाग–2 एवं डैश बोर्ड भाग–3 शामिल है।

1. प्रथम चरण हेतु आवश्यक कागजात की सूची
   (a) पैक्स का यूनिक आई0डी0
   (b) पैक्स का पैन कार्ड
   (c) पैक्स का निबंधन प्रमाण पत्र
   (d) यदि केन्द्र किराया पर खोला जाना है तो किरायानामा का कागजात (परंतु केन्द की जगह स्वयं का हो तो यह आवश्यक नहीं)
2. प्राथमिक प्रक्रिया :–
   (i) सर्वप्रथम Website:https/janaushadhi.gov.in पर जाये और लिंक को खोले।
   (ii) पोर्टल खुलते ही मॉनीटर के दायें उपर भाग पर नारंगी रंग का बॉक्स बना है (Apply for Kendra) उस पर क्लिंक करना है।
   (iii) उसके बाद मॉनीटर पर सबसे नीचे Don't have an account ? का Option रहेगा उस पर जाकर 'Register now' पर क्लिक करना है।
   (iv) फिर निबंधन कॉलम में जाकर पैक्स का नाम, अध्यक्ष/प्रबंधक का मोबाईल नं0 एवं ई–मेल आई0डी0 डालकर पैक्स का यूजर आई0डी0 और पासवर्ड बनाना है।
   (v) इसके बाद ई–मेल आई0डी0/मोबाईल नं0/यूजर आई0डी0 के द्वारा आवेदन करने के लिए आगे बढ़ना है।
   (vi) फिर मॉनीटर के बाये तरफ दो Option मिलेंगे (i) Apply for Kendra (ii) my application.
   (vii) नये आवेदन हेतु Apply for Kendra में जाना है।

डैश बोड भाग--1 आवेदन फार्म (Application form) पर क्लिक करना है। इसमें बुनियादी जानकारी की डैशबोर्ड उपलब्ध है।

- ❖ आवेदन श्रेणी में Government भरना है।
- ❖ आवेदन उप.श्रेणी में PACS भरना है।
- ❖ PACS का निबंधन संख्या भरना है। (Upload भी करना है।)
- ❖ संगठन का नाम में – PACS का पुरा नाम लिखना है।
- ❖ मोबाईल नं0 डालना है।
- ❖ वैध ई–मेल आई0डी0 बनाना है (जो User ID बनाने वक्त दिये थे)
- ❖ पैक्स का पैन नम्बर डालेगें। (इसको अपलोड भी करना है)
- ❖ Unique Id पैक्स के अनुसार भरेंगे। (जो दाये तरफ पर Click करने पर आ जाएगा)

डैश बोर्ड भाग–2 – प्रस्तावित केन्द्र की जानकारी (इसका अर्थ है जहॉ पर आप Store खोलना चाहते है उसका विवरणी)

- ❖ यहॉ तीन विकल्प प्राप्त होगे :–
  (a) अपना (Own) (b) किरायां (Rented) (c) सरकार (Govt)
- ❖ जहॉ आप Store खोलना चाहते है उस पर क्लिक करना है।

❖ तीनों में से कोई विकल्प का आप चयन कर सकते है।

❖ किराया और सरकार विकल्प के लिए (किरायानामा/प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा (अधिकतम 5 MB में)

❖ निकटतम केन्द्र से दूरी में 1 किलोमीटर से अधिक लिखना है (अब इसकी भी आवश्यकता नहीं है।)

डैश बोर्ड भाग–3 – सबसे नीचे दस्तावेज अपलोड का विकल्प दिखेगा

(a) अतिरिक्त दस्तावेज

(b) बैंक विवरणी

(c) आई0टी0आर0 दस्तावेज

उपर्युक्त दस्तावेज अनिवार्य नहीं है यदि उपलब्ध है तो अपलोड कर दे।

❖ घोषणा के कॉलम में ( ) Tick मारते हुए Pay Now पर जाना है।

❖ इसमें चार विकल्प मिलेंगे –

(a) Credit/debit card

(b) Net banking

(c) Wallet

(d) UPI

इनमें से कोई एक माध्यम से 5000 रूपये जमा करना है। इसके बाद Submit कर देने से प्रथम चरण/आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है।

Note :- * (redmark) वाले कॉलम सिर्फ भरा जाना अनिवार्य है, शेष भरे या छोड दे।

❖ इस चरण की प्रक्रिया के बाद PMBI द्वारा initial approval प्राप्त होगा, जिसका Message भी PACS को प्राप्त होगा।

❖ PMBI से approval के बाद आवेदन को My application में जाकर Application (approved) को download करना है।

❖ अगर पैक्स को B. Pharma /D. Pharma डिग्री धारक मिलने में बिलंब हो तो My Application पर जाकर 90 दिनों तक अवधि विस्तार कर सकते है।

(B) द्वितीय चरण

ड्रग अनुज्ञप्ति हेतु आवश्यक दस्तावेज :–

(i) PMBI द्वारा अनुमोदित आवेदन

(ii) अध्यक्ष/प्रबंधक/कार्यकारिणी सदस्य का आधार की छायाप्रति

(iii) सहकारी समिति का पैन कार्ड।

(iv) सहकारी समिति का पिछले 6 माह का बैंक विवरणी/आॅडिट रिपोर्ट।

(v) बी0 फार्मा/डी0 फार्मा का प्रमाण पत्र व धारक का दो पासपोर्ट साईज फोटो।

(vi) अगर स्टोर किराये पर हो तो एक हजार के स्टांप पर किरायानामा दे।

चरण –2 की प्रक्रिया :–

❖ उपरोक्त दस्तावेज अपने जिले के असैन्य सहायक औषधि नियंत्रक के कार्यालय में उपलब्ध करा दे।

❖ असैन्य सहायक औषधि नियंत्रक द्वारा उपरोक्त दस्तावेज के जांचोपरांत पैक्स को ड्रग लाईसेंस उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु पैक्स को सूचना भी प्राप्त होगी।

(202)

(105)

(C) तृतीय चरण –3 :– आवश्यक काजगजात (स्टोर कोड हेतु)

(i) ड्रग अनुज्ञप्ति की छायाप्रति (फार्म 20–21)

(ii) 100 रूपये के स्टाम्प पर हस्ताक्षरित एकरारनामा

(iii) एक रद्द चेक और तीन सिक्योरिटी चेक (PMBI के Favour में)

(iv) पैक्स के निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

चरण – 3 की प्रक्रिया :–

- उपरोक्त दस्तावेज PMBI के निबंधित पता Chief Executive officer, Pharmaceuticals & Medical Devices Bureau of India (PMBI) Office At: B-500, Tower B, 5th Floor, World Trade Center, Nauroji Nager, New Delhi-110029. पर निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से भेज दे।
- अंतिम रूप से PMBI द्वारा स्वीकृत स्टोर कोड का मैसेज पैक्स को प्राप्त होगा।
- उसके उपरांत पैक्स जन औषधि केन्द्र खोलने के लिए स्वतंत्र है।
- दवा की बुकिंग करने हेतु ऑनलाईन व्यवस्था PMBI के पोर्टल पर उपलब्ध है या PMBI के बिहार में कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारी, श्री प्रशांत आचार्या मो0 नं0 9311884640, श्री आकाश राठौर, मो0 नं0 7983318439 और श्री अनुज तिवारी, मो0 नं0 9713404133 से सम्पर्क कर दवा खरीद/ब्रिकी की बुकिंग करावा सकते है।

नोट :– **बिहार राज्य में निबंधित बी0 फार्मा और डी0 फार्मा करने वाले फार्मासिस्टों की सूची www.janaushdhi.gov.in के पोर्टल पर जिलावार सूची उपलब्ध है जिनमें उनका पता व E-MAIL भी अंकित है।**